(46)

न्यायालय श्रीमान बी० ओ० आर० कैम्प ग्वालियर जि. ग्वालियर (म०प्र०)

निग / 3596-II-15

परीक्षित तनय मुलू काछी
निवासी ग्राम लिधौरा ताल, तह० जतारा जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)
= = निगरानीकर्ता

|| विरूद्ध ||

ग्राम पंचायत लिधौरा ताल द्वारा -
सचिव ग्राम पंचायत लिधौरा ताल, जनपद पंचायत जतारा,
तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ (म०प्र०)
== प्रतिअपीलार्थी/ अनावेदक

निगरानी अन्तर्गत धारा - 50 म०प्र०भू० राजस्व संहिता-1959 :-

यह अपील, अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान कमिश्नर महोदय सागर संभाग सागर म०प्र० के प्रकरण क्रमांक - 30/बी०/121/11-12 में पक्षकार - ग्राम पंचायत लिधौरा ताल द्वारा सचिव - विरूद्ध - परीक्षित काछी, में पारित आदेश दिनांक 13/01/14 से परिवेदित होकर निम्नलिखित प्रमुख तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

-: प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य :-

श्री संजय श्रीवास्तव अभि. द्वारा प्रस्तुत / प्राप्त / 29-10-15

1) यह कि, भूमि खसरा नं. 950/1/11 स्थित ग्राम लिधौरा ताल रकवा-1.809 हेक्टेयर वर्ष 1984 में तहसीलदार जतारा ने दिनांक 17/05/1985 को दखलरहित भूमिस्वामी अधिकार के तहत अपीलार्थी को उक्त भूमि का पट्टा प्रदाय किया गया था, दिनांक 17/05/85 के आदेश की प्रति-एनेक्जर-1 है, खसरा पांचसाला एवं बी-1 की कम्प्यूटरनकल एनेक्जर-2 एवं किस्त बंदी खतौनी एनेक्जर-3 है, जिस पर अपीलार्थी कानाम दर्ज है । दिनांक 17/05/85 के आदेश का अमल नहीं हो पाया जिसके लिए तहसीलदार जतारा के यहां आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, आपत्तियां आमंत्रित की गयीं, प्रकरण में कोई आपत्ति न आने पर अपीलार्थी का नाम खसरा में दर्ज किया गया, जिसके विरूद्ध ग्राम पंचायत लिधौरा ताल ने एस.डी.ओ. के यहां अपील की, जिसमें एस०डी०ओ० ने ग्राम पंचायत की अपील स्वीकार की, जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता ने निम्नांकित आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की है ।

Xxxix(a)-BR(H)-11 राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 3576–दो/2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एंव विवरण	पक्षकारों एं अभि.के हस्ता.
5-2-16	यह निगरानी आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 30/बी–121/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 13 जनवरी, 2014 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। आवेदक के अभिभाषक के तर्क सुने तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 2– आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से स्थिति यह है कि तहसीलदार जतारा ने प्रकरण क्रमांक 2922/बी–121/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 25–7–2007 से ग्राम लिधोरा ताल की भूमि खसरा नंबर 950/1/11 रकबा 1–809 हैक्टर पर आवेदक का नाम पटवारी अभिलेख से छूट जाने के कारण पुनः खसरे में भूमिस्वामी दर्ज करने के आदेश दिये, क्योंकि यह भूमि खसरे में शासकीय गोचर दर्ज हो गई थी इसी त्रृटि को तहसीलदार ने उक्तादेश से सुधार किया । 3/ तहसीलदार के उक्त आदेश के विरूद्व ग्राम पंचायत व्दारा ने अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 21/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 16–12–2009 से तहसीलदार का आदेश निरस्त कर प्रकरण उभय पक्ष की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया। इस आदेश के विरूद्व आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील होने पर प्रकरण क्रमांक 30/बी–121/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–1–2014 से अपील निरस्त हुई। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी हुई है।	

R

R 3576. 15/14

4/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने करते हुये उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। तहसीलदार जतारा के प्रकरण कमांक 2922/बी–121/ 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 25–7–2007, अनुविभागीय अधिकारी जतारा व्दारा प्रकरण कमांक 21/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–12–2009 तथा आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 30/बी–121/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–1–2014 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब आवेदक यह तथ्य बता रहा है कि ग्राम लिधोरा ताल की भूमि खसरा नंबर 950/1/11 रकबा 1–809 हैक्टर का वह भूमिस्वामी होकर खेती करते आ रहा है उसके पास इस भूमि का पटटा है तथा भू अधिकार एंव ऋण पुस्तिका है परन्तु खसरे में अॅकन क्यों नहीं रहा है अंकन किया जावे। तहसीलदार ने प्रकरण कमांक 2922/बी–121/ 2006–07 दर्ज कर जांच की एंव जांच में यह प्रमाणित पाया है कि आवेदक का नाम उक्तांकित भूमि पर खसरे में दर्ज करने से रह गया है इसलिये पटटा तथा भू अधिकार एंव ऋण पुस्तिका की जांच एंव सत्यापन उपरांत आदेश दिनांक 25–7–2007 से खसरे में नाम दर्ज करने के आदेश दिये गये है तब अनुविभागीय अधिकारी पटटा तथा भू अधिकार एंव ऋण पुस्तिका जैसे स्वत्व के अभिलेख के उपलब्ध रहते और कौनसे स्वत्व के दस्तावेज चाहते हैं अनुविभागीय अधिकारी की आवेदक से यह अपेक्षा उचित नहीं मानी जा सकती, क्योंकि कि अनुविभागीय अधिकारी ने जानबूझकर वास्तविकता को एंव आवेदक के उक्त दस्तावेजों को अनदेखा करते हुये तहसीलदार जतारा के आदेश दिनांक 25–7–2007 को निरस्त कर पक्षकारों के बीच व्यर्थ मुकदमेवाजी बढ़ाई है जिसके कारण उनके व्दारा पारित आदेश दिनांक 16–12–2009 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है एंव आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण कमांक

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 3576–दो/2015 निगरानी जिला टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही एंव विवरण	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
	30/बी–121/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–1–2014 में भी उक्त तथ्यों की अनदेखी करने की भूल की हे जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी जतारा का आदेश एंव आयुक्त का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। 5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, सागर संभाग, सागर व्दारा प्रकरण क्रमांक 30/बी–121/2010–11 अपील में पारित आदेश दिनांक 13–1–2014 एंव अनुविभागीय अधिकारी जतारा व्दारा प्रकरण क्रमांक 21/2008–09 अपील में पारित आदेश दिनांक 16–12–2009 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं फलस्वरूप तहसीलदार जतारा द्वारा प्रकरण क्रमांक 2922/बी–121/ 2006–07 में पारित आदेश दिनांक 25–7–2007 उचित होने यथावत् रखा जाता है। सदस्य	